

प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 23.03.2023

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी चौरी-चौरा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष झंगहा द्वारा एक सशक्त टीम गठित की गयी। उक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 52/2023 धारा 363/366/376/504/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश उर्फ झब्बर पुत्र दीपे निवासी ग्राम मिश्रौलिया थाना झंगहा जिला गोरखपुर गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद किया गया। उपरोक्त अभियोग में बरामदगी व अपहृता के गवाही के आधार पर धारा 366/376 भादवि व ¾ पक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

मुकेश उर्फ झब्बर पुत्र दीपे निवासी ग्राम मिश्रौलिया थाना झंगहा जिला गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 52/2023 धारा 363/366/376/504/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 शुभम श्रीवास्तव थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. कां0 विकास सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
3. म0का0 सुप्रिया सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर